आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) सहपठित धारा 36(2) के अंतर्गत अशोध्य ऋण की कटौती के दावे की स्वीकार्यता

परिपत्र संख्या 12/2016 [F.NO.279/MISC./140/2015-ITJ], दिनांक 30-5-2016

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को करदाता के खातों में वसूली न किए जा सकने वाले के रूप में बट्टे खाते में डाले गए खराब ऋणों की स्वीकार्यता के मुद्दे पर अपील दायर करने/मुकदमा चलाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह विवाद करदाता द्वारा यह स्थापित करने में विफलता से संबंधित मामलों से संबंधित है कि ऋण वसूली योग्य नहीं है।

2. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 ने आयकर अधिनियम 1961 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 36(l)(vii) और 36(2) के प्रावधानों को 1 अप्रैल, 1989 से प्रभावी खराब ऋणों की स्वीकार्यता से संबंधित प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के लिए संशोधित किया।

3. संशोधन के पीछे विधायी मंशा यह थी कि करदाता द्वारा यह स्थापित करने की आवश्यकता को समाप्त करके खराब ऋण की स्वीकार्यता के मुद्दे पर मुकदमेबाजी को समाप्त किया जाए कि ऋण वास्तव में वसूली योग्य नहीं हो गया है। हालाँकि, संशोधन के बावजूद, स्वीकार्यता के मुद्दे पर विवाद जारी हैं, ज्यादातर इस कारण से कि ऋण वसूली योग्य नहीं साबित हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टीआरएफ लिमिटेड के मामले में, सीए संख्या 5292 से 5294/2003 में, दिनांक 9-2-2010 के निर्णय द्वारा, यह स्पष्ट किया है कि कानून की स्थिति सुस्थापित है। "1-4-1989 के पश्चात, अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत किसी डूबत ऋण या उसके किसी भाग की राशि के लिए कटौती की अनुमति देने के लिए, करदाता के लिए यह स्थापित करना आवश्यक नहीं है कि ऋण वास्तव में वसूली योग्य नहीं रह गया है; यह पर्याप्त है यदि डूबत ऋण को करदाता की लेखा पुस्तकों में वसूली योग्य के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाए।"

4. उपरोक्त के मद्देनजर, किसी भी पूर्व वर्ष में किसी ऋण या उसके किसी भाग के लिए दावा, अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत स्वीकार्य होगा, यदि उसे उस पूर्व वर्ष के लिए करदाता की लेखा पुस्तकों में वसूली योग्य के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया गया हो और वह अधिनियम की उपधारा 36(2) की उपधारा (2) में निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो।

5. तदनुसार, इस आधार पर अब से कोई अपील दायर नहीं की जाएगी और विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के समक्ष इस मुद्दे पर पहले से दायर अपीलें, यदि कोई हों, वापस ली जा सकती हैं/उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता।

6. यह बात सभी संबंधितों के ध्यान में लाई जाए।